

फर्द अहकाम

रामेश्वर बनाम राजस्थान सरकार

संख्या

310/2024

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष
विवरण

2024


प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पटवारी हल्का नेवटा से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई।

बहस प्रार्थी की प्रार्थना पत्र में सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि रामेश्वर पुत्र नानू उर्फ नानीया, जाति जाट, पता ग्राम नेवटा, पटवार हल्का नेवटा, भूअभि.नि. क्षेत्र कलवाडा, तहसील सांगिनेर जयपुर का हूँ मेरी राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी खाता संख्या 184 व पुराना 171 स्थित ग्राम नेवटा, पटवार हल्का नेवटा, भूअभि.नि. क्षेत्र कलवाडा, तहसील सांगिनेर जयपुर भू राजस्व रिकार्ड के नक्शे में खसरा न. 2120 एवं 2113/2548 के नक्शे की दक्षिण दिशा वाली लाईन पूर्व में सीधी थी जो वर्तमान के ट्रेस के नक्शे में गलत हो गई है। पूर्व के भू नक्शे में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है तकासमें में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। मैं उक्त अपने खसरा न. 2120 एवं 2113/2548 के भू नक्शे में पूर्व के नक्शो व तकासमा के हिसाब से उक्त लाईन को सीधी व सही करवाना चाहता हूँ। अतः प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन है में अपने उक्त ट्रेस नक्शे में लाईन सीधी करवाने बाबत पेश कर रहा।

बहस प्रार्थी, प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का नेवटा से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन कराने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को प्रार्थी की ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 2120 एवं 2113/2548 की दक्षिणी सीमा की तरमीम मुताबिक बटवारा आदेश दिनांक 10.04.2013 के अनुसार शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फंसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया

गया।


उपस्थंड अधिकारी
सांगानेर जयपुर (द्वितीय)

